[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (I)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

NEW DELHI, 13th June, 2018

GSR (E) _____. In exercise of the powers conferred by Section 90 read with sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.–

(1) These rules may be called the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "form" means the form specified in Annexure to these rules;

(c) "registered owner" means a person whose name is entered in the register of members of a company as the holder of shares in that company but who does not hold beneficial interest in such shares;

(d) "section" means a section of the Act

(e) "significant beneficial owner" means an individual referred to in sub-section (1) of section 90 (holding ultimate beneficial interest of not less than ten per cent.) read with sub-section (10) of section 89, but whose name is not entered in the register of members of a company as the holder of such shares, and the term 'significant beneficial ownership' shall be construed accordingly;

Explanation I. - For the purpose of this clause, the significant beneficial ownership, in case of persons other than individuals or natural persons, shall be determined as under–

(i) where the member is a company, the significant beneficial owner is the natural person, who, whether acting alone or together with other natural persons, or through one or more other persons or trusts, holds not less than ten per cent. share capital of the company or who exercises significant influence or control in the company through other means;

(ii) where the member is a partnership firm, the significant beneficial owner is the natural person, who, whether acting alone or together with other natural persons, or through one or more other persons or trusts, holds not less than ten per cent. of capital or has entitlement of not less than ten per cent. of profits of the partnership;

(iii) where no natural person is identified under (i) or (ii), the significant beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;

(iv) where the member is a trust (through trustee), the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with not less than ten per cent. interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership;

Explanation II. It is hereby clarified that instruments in the form of global depository receipts, compulsorily convertible preference shares or compulsorily convertible debentures shall be treated as 'shares' for the purpose of this clause;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the said Rules.

3. Declaration of significant beneficial ownership in shares under section 90.-

(1) Every significant beneficial owner shall file a declaration in **Form No. BEN-1** to the company in which he holds the significant beneficial ownership on the date of commencement of these rules within ninety days from such commencement and within thirty days in case of any change in his significant beneficial ownership.

(2) Every individual, who, after the commencement of these rules, acquires significant beneficial ownership in a company, shall file a declaration in **Form No. BEN-1** to the

company, within thirty days of acquiring such significant beneficial ownership or in case of any change in such ownership.

4. Return of significant beneficial owners in shares.-

Where any declaration under rule 3 is received by the company, it shall file a return in **Form No. BEN-2** with the Registrar in respect of such declaration, within a period of thirty days from the date of receipt of declaration by it, along with the fees as prescribed in Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014.

5. Register of significant beneficial owners.-

(1) The company shall maintain a register of significant beneficial owners in **Form No. BEN-3**.

(2) The register shall be open for inspection during business hours, at such reasonable time of not less than two hours, on every working day as the board may decide, by any member of the company on payment of such fee as may be specified by the company but not exceeding fifty rupees for each inspection.

6. Notice seeking information about significant beneficial owners.-

A company shall give notice seeking information in accordance with under sub-section (5) of section 90, in Form **No. BEN-4**.

7. Application to the Tribunal.-

The company may apply to the Tribunal in accordance with sub-section (7) of section 90, for order directing that the shares in question be subject to restrictions, including –

(a) restrictions on the transfer of interest attached to the shares in question;

(b) suspension of the right to receive dividend in relation to the shares in question;

(c) suspension of voting rights in relation to the shares in question;

(d) any other restriction on all or any of the rights attached with the shares in question.

8. Non-Applicability.-

These rules are not made applicable to the holding of shares of companies/body corporates, in case of pooled investment vehicles/investment funds such as Mutual Funds, Alterative Investment Funds (AIFs), Real Estate Investment Trusts(REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) regulated under SEBI Act.

Annexure

Form No. BEN-1

Declaration by the beneficial owner who holds or acquires significant beneficial ownership in shares

[*Pursuant to section 90(1) of the Companies Act, 2013 and rule 3(1)/3(2)*]

To-

Name of the company:

Registered office address:

1. Particulars of the shares in which significant beneficial interest is held by the person making declaration:

i) Class of shares:

ii) Number and percentage of shares:

iii) Shares/ securities in physical form

□ Distinctive numbers: From.......... To..........

□ Certificate No.:

□ Folio No.

iv) Shares/ securities in Demat form

□ DP ID/ Client ID :

□ No. of shares:

□ Any other:

v) Nominal value of shares:

vi) Paid up value of shares:

2. Particulars of the holder of the significant beneficial interest

PAN *

Sl. No.	Name of the Beneficial Owner	Address and E-mail id	Date of Birth/ Age	Father's/ Mother's/ Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

3. Declaration

In pursuance of sub-section (1) of section 90 of the Companies Act 2013, I ....hereby declare that I hold / have acquired a significant beneficial interest in the above mentioned shares of the company which are registered in the name of the person whose particulars are furnished below:

4. Particulars of the registered owner

PAN *

Sl. No.	Name of the registered owner	Address and E-mail id	Date of Birth/ Age	Father's/ Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/UIN/CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

5. Details of the significant beneficial interest:
   i) Date of creation / acquisition of significant beneficial interest:
   ii) Mode of acquisition of significant beneficial interest: Allotment /Transfer / others, specify
   iii) Nature of the significant beneficial interest:
   iv) Reasons for not registering shares in my name:
   v) Particulars of the instrument/document, if any, showing the creation of such significant beneficial interest:
   vi) Direct/ Indirect percentage of voting rights:

6. Particulars of the person from whom the significant beneficial interest is acquired, if applicable:
   i) Name of the transferor of significant beneficial interest:
   ii) Whether shares were registered in his name:
   (If not, whether any declaration under sub-section (2) of section 89 was filed by him to the company. If so, date of such declaration)
   iii) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the transfer of such significant beneficial interest:

Date:
Place:

Signature of the holder of the significant beneficial interest

CERTIFICATE

I hereby certify that the significant beneficial interest in the shares mentioned above has been transferred by me on ....

Signature of the person who has transferred the significant beneficial interest in the shares
Date:
Place:

Enclosures:(a) Proof of identity of the registered owner and holder of the significant beneficial interest

(b) Instrument/ document under which the significant beneficial interest is created/ transferred/ changed.

Form No. BEN-2

Return to the Registrar in respect of declaration under section 90 received by the company

[*Pursuant to section 90(4) of the Companies Act, 2013 and rule 4*]

O For Significant beneficial ownership O For Change in Significant beneficial ownership

Total percentage

O Date of Change .

O SRN of BEN-2 latest(last) filed for significant beneficial Ownership

Total percentage ....

1. (a) CIN:

(b) GLN:

2. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3. Particulars of significant beneficial interest:

PAN * Prefill

S. No.	Date of declarations	Date of receipt of	Particulars of shares in respect of which beneficial interest is created

	under sub-section (1) of section 90	the said declarations by the company	Class of shares	No. of shares	Distinctive Nos. of shares/ DP and Client ID of shares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Particulars of shares in respect of which beneficial interest is created		Particulars of registered owner				
Face value of shares	Paid up value of shares	Name of the registered owner	Address and e-mail id	Date of Birth/ Age	Father's/ Spouse's name	Occupation
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Particulars of registered owner			Particulars of beneficial owner	
Nationality	PAN/UIN/ CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	Name & Nationality	Address and e-mail id
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Father's/ Spouse's Name	Date and Nature of beneficial interest	Remarks
(19)	(20)	(21)

Date:

Place:

Attachments:1. Declaration under section 90 (1); 2. Optional attachments, if any.

Form no. BEN-3

Register of beneficial owners holding significant beneficial interest

[*Pursuant to section 90(2) of the Companies Act, 2013 and rule 5(1)*]

Name of the company:
Registered office address:

1. Particulars of the beneficial owner holding significant beneficial interest

PAN *

Prefil!

Sl. No.	Name of the Beneficial Owner	Address and E-mail id	Date of Birth/ Age	Father's/ Mother's/ Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/UIN/CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	Status
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Date of declaration under section 90	Date of cessation	Date of entry in Register	Date of filing of BEN-2(SRN wise)	Amount of guarantee, if any
(11)	(12)			
Any other interest, if any	Instructions, if any, given by the member wt			

2. Particulars of the shares in which significant beneficial interest is held by the beneficial owner:

i) Class of shares:
ii) Number of shares:
iii) Shares/ securities in physical form
☐ Distinctive numbers: From.......... To...........
☐ Certificate No.:
☐ Folio No.
iv) Shares/ securities in Demat form
☐ DP ID/ Client ID :
☐ No. of shares:
☐Any other:
v) Nominal value of shares:
vi) Paid up value of shares:

Form no. BEN-4

[*Pursuant to section 90(5) of the Companies Act, 2013 and rule 6*]

[<<Insert Company Name>>] (the "Company")

<<Insert Date>>

[By post/email]

To:
Name and address of SBO/any other person
Date:
Subject: Notice under sub-section (5) of Section 90 of the Companies Act, 2013 and rules made there under
The Company has reasonable cause to believe that* :

- ☐ you are a significant beneficial owner of the company;
- ☐ have knowledge of the identity of significant beneficial owner of ....likely to have such knowledge;
- ☐ have been a significant beneficial owner of the company during the three years immediately preceding the date of this notice, and

in respect of the above significant beneficial ownership the return prescribed under Section 90 of the Act has not been filed in compliance with the Act.
You are accordingly advised to give the following information within 30 days of the date of this notice in accordance with the section 90 of the Companies Act, 2013 :

1. Name and Address of the Beneficial Owner (B.O) (i.e. yourself or the significant BO if you are not the significant BO)
2. PAN of the B.O
3. Name of the person/entity/trust/body etc in whose name the shares/rights are registered/held
4. Folio number/DP and Client ID of the shares/securities
5. Nominal value of the shares/securities
6. Date of acquiring beneficial interest
7. Documents, terms and conditions or any other particulars regarding the BO ownership
8. Reason for not filing declaration in Form No. BEN-4.

9. Any other information incidental to or relevant or in your possession or knowledge to enable the company to evaluate this matter

The abovementioned particulars should be submitted in writing to the registered address of the company not later than 30 days of the date of this notice failing which the company shall proceed in the matter without further notice as per the provisions of the Act.

Name & signature

(Person authorized to issue notice)

**Delete whichever is not applicable*

[F.No. 1/1/2018 CL-V]

13/6/18

K.V.R.Murty, Joint Secretary.

****

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 13 जून, 2018

सा.का.नि. _______ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-**

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उस कंपनी में शेयरधारक के रूप में प्रविष्ट है परंतु जो ऐसे शेयरों में फायदाप्रद हित धारित नहीं करता;

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(ङ) "महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी" से धारा 89 की उपधारा (10) के साथ पठित धारा 90 की उपधारा (1) में यथाउल्लिखित व्यक्ति से अभिप्रेत है (जो कम से कम दस प्रतिशत का अंतिम फायदाप्रद हितधारित करता हो) परंतु जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे शेयरों के धारक के रूप में दर्ज न हो, और "महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

स्पष्टीकरण I - इस खंड के प्रयोजन के लिए, महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व का अवधारण वैयक्तिकों या प्रकृत व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के मामले में निम्नानुसार किया जाएगा-

(i) यदि सदस्य एक कंपनी है तो महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी वह प्रकृत व्यक्ति होगा जो अकेले या अन्य प्रकृत व्यक्तियों के साथ मिलकर या एक या अधिक व्यक्तियों या न्यासों के माध्यम से कार्य करते हुए, कंपनी की कम से कम दस प्रतिशत शेयरपूंजी धारित करता है या अन्य माध्यमों से कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करता है;

(ii) यदि सदस्य भागीदारी फर्म है तो महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी वह प्रकृत व्यक्ति होगा जो अकेले या अन्य प्रकृत व्यक्तियों के साथ मिलकर या एक या अधिक व्यक्तियों या न्यासों के माध्यम से कार्य करते हुए, कंपनी की कम से कम दस प्रतिशत पूंजी धारित करता है या उसे भागीदारी के लाभ के कम से कम दस प्रतिशत का हक प्राप्त है;

(iii) यदि किसी प्रकृत व्यक्ति की (i) या (ii) के अधीन पहचान नहीं होती है तो महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी वह सुसंगत प्रकृत व्यक्ति है जो ज्येष्ठ प्रबंधक पदधारी की स्थिति धारित करता है;

(iv) यदि सदस्य एक न्यास है (न्यासी के माध्यम से), तो हिताधिकारी स्वामी (स्वामियों) की पहचान में न्यासकर्ता, न्यासी, न्यास में कम से कम दस प्रतिशत हित वाले हिताधिकारी और अन्य कोई प्रकृत व्यक्ति जो नियंत्रण या स्वामित्व श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करता है, सम्मिलित होगा;

स्पष्टीकरण 2 - यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों, अनिवार्यत: संपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों या अनिवार्यत: संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के स्वरूप में लिखत को 'शेयर' माना जाएगा;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और पदों जिन्हें इस अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्देश ब्यौरे) नियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें इस अधिनियम और उक्त नियमों में समनुदेशित किए गए हैं।

3. धारा 90 के अधीन शेयरों में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा -

(1) प्रत्येक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को स्वयं का महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व होने वाली कंपनी में ऐसे प्रारंभ के नब्बे दिन के भीतर और महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, तीस दिन के भीतर कंपनी को **प्ररूप संख्या बीईएन-1** में एक घोषणा पत्र फाइल करेगा।

(2) प्रत्येक व्यष्टि जो इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् किसी कंपनी में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व अर्जित करता है, कंपनी को महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व प्राप्त करने के या ऐसे स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर तीस दिन के भीतर **प्ररूप संख्या बीईएन-1** में एक घोषणा पत्र फाइल करेगा।

4. शेयरों में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की विवरणी -

जहां कंपनी द्वारा नियम 3 के अधीन कोई घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है, तो वह घोषणा पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे घोषणा पत्र के संबंध में रजिस्ट्रार को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस के साथ **प्ररूप संख्या बीईएन-2** में एक विवरणी फाइल करेगी।

5. महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर -

(1) कंपनी **प्ररूप संख्या बीईएन-3** में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों का एक रजिस्टर रखेगी।

(2) यह रजिस्टर कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा कंपनी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फीस, जो प्रत्येक निरीक्षण के लिए पचास रूपए से अधिक न हो, का भुगतान करने पर प्रत्येक कार्यदिवस में कम से कम दो घंटे के ऐसे सुसंगत समय पर, जैसा कि बोर्ड विनिश्चित करे, कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए रखा रहेगा।

6. महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु नोटिस -

कंपनी **प्ररूप संख्या बीईएऩ-4** में धारा 90 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त करने का नोटिस देगी।

7. अधिकरण को आवेदन -

कंपनी धारा 90 की उपधारा (7) के अनुसार अधिकरण को यह निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी कि प्रश्नगत शेयर निर्बंधनों के अधीन होंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(क) प्रश्नगत शेयरों से संबद्ध हित के अंतरण पर निर्बंधन;

(ख) प्रश्नगत शेयरों के संबंध में लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को निलंबित करना;

(ग) प्रश्नगत शेयरों के संबंध में मताधिकारों को निलंबित करना;

(घ) प्रश्नगत शेयरों के साथ जुड़े सभी या किन्हीं अधिकारों पर अन्य कोई निर्बंधन।

8. अप्रयोज्यता -

ये नियम एकत्रीकृत विनिधान माध्यम/विनिधान निधियां जैसे सेबी अधिनियम के अधीन विनियमित म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ), भू संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीआईटी) में कंपनियों/निगमित निकायों के शेयरधारण के लिए लागू नहीं होंगे।

उपाबंध

प्ररूप संख्या बीईएन-1

हिताधिकारी स्वामी द्वारा घोषणा जो शेयरों में विशेष हिताधिकारी स्वामित्व रखता है या अर्जित करता है

[*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(1) और नियम 3(1)/3(2) के अनुसरण में*]

सेवा में-

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

1. शेयरों की विशिष्टियां जिनमें घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित रखा जाता है :

i) शेयरों का वर्ग

ii) शेयरों की संख्या और प्रतिशतता

iii) भौतिक रूप में शेयर/प्रतिभूतियां

- ☐ विशिष्ट संख्या : .... से .... तक
- ☐ प्रमाण पत्र संख्या :
- ☐ फोलियो संख्या :

iv) डीमेट प्ररूप में शेयर/प्रतिभूतियां :

- ☐ डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी :
- ☐ शेयरों की संख्या :
- ☐ कोई अन्य :

v) शेयरों का न्यूनतम मूल्य :

vi) शेयरों का संदत्त मूल्य :

2. महत्वपूर्ण फायदाप्रद हितधारक की विशिष्टियां

पैन * [ ]

क्रम. सं.	हिताधिकारी स्वामी का नाम	पता और ई-मेल आईडी	जन्म तिथि/आयु	पिता/माता/ पति/पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	सीआईएन (यदि कंपनी है)	पासपोर्ट संख्या (यदि विदेशी नागरिक है)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

3. घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (1) के अनुसरण में, मैं, ... घोषणा करता हूं कि मैं/मैंने कंपनी के उपरवर्णित शेयरों में महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित धारित कर लिया है जो उस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी की विशिष्टियां

पैन * [ ]

क्रम. सं.	रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम	पता और ई-मेल आईडी	जन्म तिथि/आयु	पिता/पति/पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (यदि कंपनी है)	पासपोर्ट संख्या (यदि विदेशी नागरिक है)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

5. महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित का विवरण

i) महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित के सृजन/अधिग्रहण की तारीख

ii) महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित के अधिग्रहण का तरीका: आवंटन/अंतरण/अन्य, विनिर्दिष्ट करें

iii) महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित की प्रकृति

iv) मेरे नाम में शेयरों का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराने के कारण

v) लिखतों/दस्तावेज का विवरण, यदि कोई हो, जो ऐसे महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित के सृजन को दर्शाता हो :

vi) मताधिकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रतिशत

6. उस व्यक्ति की विशिष्टियां जिससे महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित का अर्जन किया गया है, यदि लागू है :

i) महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित को अंतरित करने वाले का नाम :
ii) क्या शेयर उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत थे :
(यदि नहीं, तो क्या धारा 89 की उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा कोई घोषणा कंपनी में फाइल की गई थी, यदि हां, तो ऐसी घोषणा की तारीख)
iii) लिखत/दस्तावेज की विशिष्टियां, यदि कोई हो, जो ऐसे महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित को दर्शाती हों :

तारीख :
स्थान :

महत्वपूर्ण फायदाप्रद हितधारक के हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर वर्णित शेयरों में महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित को मेरे द्वारा ______________ को हस्तांतरित किया गया था।

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने शेयरों में महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित का अंतरण किया है :

तारीख :
स्थान :

संलग्नक

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वामी और महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित धारक की पहचान का साक्ष्य
(ख) लिखत/दस्तावेज जिसके अधीन महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित का सृजन/अंतरण/परिवर्तन किया गया था।

प्ररूप संख्या बीईएन-2

कंपनी द्‌वारा प्राप्त धारा 90 के अधीन घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को विवरणी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(4) और नियम 4 के अनुसरण में]

o महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के लिए o महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन के लिए

कुल प्रतिशत

o परिवर्तन की तारीख

o महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के लिए फाइल नवीनतम (अंतिम) बीईएन-2 का एसआरएन

कुल प्रतिशत ....

1. (क) सीआईएन :

(ख) जीएलएन :

2 (क) कंपनी का नाम :

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

(ग) ई-मेल पता :

3. महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित की विशिष्टियां :

पैन * **पहले से भरा हुआ**

क्र.सं.	धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाओं की तारीख	कंपनी द्‌वारा उक्त घोषणाओं की	शेयरों की विशिष्टियां, जिसके संबंध में फायदाप्रद हित सृजित किया गया है		
			शेयरों का वर्ग	शेयरों की संख्या	शेयरों/डीपी की विशेष संख्या और शेयरों की

		प्राप्ति की तारीख			ग्राहकों की पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

शेयरों का विवरण, जिसके संबंध में फायदाप्रद हित सृजित किया गया है		रजिस्ट्रीकृत स्वामी की विशिष्टियां				
शेयरों का अंकित मूल्य	शेयरों का समादत्त मूल्य	रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम	पता और ई-मेल पता	जन्म तिथि/आयु	पिता/पति/पत्नी का नाम	व्यवसाय
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

रजिस्ट्रीकृत स्वामी की विशिष्टियां			हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां	
राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (कंपनी के मामले में)	पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रीयता के मामले में)	नाम और राष्ट्रीयता	पता और ई-मेल पता
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

पिता/पति/पत्नी का नाम	फायदाप्रद हित की तारीख और प्रकृति	टिप्पणियां
(19)	(20)	(21)

तारीख :

स्थान :

संलग्नक : 1. धारा 90(1) के अधीन घोषणा ; 2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है।

प्ररूप संख्या बीईएन-3

महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित धारित करने वाले महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(2) और नियम 5 (1) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

1. महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित धारण करने वाले हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां

पैन* पहले से भरा हुआ

क्र.सं.	हिताधिकारी स्वामी का नाम	पता और ई-मेल पता	जन्म तिथि/आयु	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (कंपनी के मामले में)	पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रीयता के मामले में)	प्रास्थिति
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
धारा 90 के अधीन घोषणा की तारीख	समाप्ति की तारीख	रजिस्टर में प्रविष्टी की तारीख	बीईएन-2 फाइल करने की तारीख (एसआरएन वार)	गारंटी की रकम, यदि कोई है
(11)	(12)			
अन्य कोई हित, यदि कोई है	सदस्य द्वारा दिए गए अनुदेश, यदि कोई है			

2. उन शेयरों की विशिष्टियां जिनमें हिताधिकारी स्वामी द्वारा महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित धारित किया गया है :

i) शेयरों का वर्ग :

ii) शेयरों की संख्या :

iii) भौतिक रूप में शेयर/प्रतिभूतियां :

- ☐ विशेष संख्याएं : .... से ....तक
- ☐ प्रमाण-पत्र संख्या :
- ☐ फोलियो संख्या :

iv) डीमेट रूप में शेयर/प्रतिभूतियां

- ☐ डीपी आईडी/ग्राहक आईडी :
- ☐ शेयरों की संख्या :
- ☐ अन्य कोई :

v) शेयरों का न्यूनतम मूल्य :

vi) शेयरों का समादत्त मूल्य :

प्ररूप संख्या बीईएन-4

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(5) और नियम 6 के अनुसरण में]

[<<कंपनी का नाम लिखें>>] ("कंपनी")

<<तारीख लिखें>>

[डाक/ई-मेल द्‌वारा]

सेवा में :

एसबीओ/अन्य किसी व्यक्ति का नाम और पता

तारीख :

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (5) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नोटिस

कंपनी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि * :

- □ आप कंपनी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी हैं;
- □ .... के महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की पहचान का ज्ञान, ऐसा ज्ञान होने की संभाव्यता;
- □ इस नोटिस की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी रह चुके हैं, और

उपर्युक्त महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के संबंध में अधिनियम की धारा 90 के अधीन विहित विवरणी अधिनियम के अनुसरण में फाइल नहीं की गई है।

तद्‌नुसार, आपको कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अनुसरण में इस नोटिस की तारीख के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित सूचना देने की सलाह दी जाती है :

1. हिताधिकारी स्वामी (बीओ) का नाम और पता (अर्थात् आप स्वयं या यदि आप स्वयं महत्वपूर्ण बी.ओ नहीं हैं तो महत्वपूर्ण बी.ओ)
2. बी.ओ का पैन

3. व्यक्ति/संस्था/न्यास/निकाय आदि का नाम जिसके नाम पर शेयर/अधिकार रजिस्ट्रीकृत/धारित हैं।

4. शेयरों/प्रतिभूतियों/ फोलियो संख्या के डीपी और ग्राहक की पहचान

5. शेयरों / प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य

6. फायदाप्रद हित के अर्जन की तारीख

7. बी.ओ. स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज़, निबंधन और शर्तें या अन्य कोई विशिष्टियां

8. प्ररूप संख्या बीईएन-4 में घोषणा फाइल नहीं करने के कारण

9. इस मामले का कंपनी को मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने वाला आपका अन्य कोई प्रासंगिक या सुसंगत सूचना या कोई ज्ञान

उपर्युक्त विशिष्टियां इस नोटिस की तारीख के 30 दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत पते पर लिखित में प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी बिना कोई और नोटिस दिए इस मामले में आगे कार्यवाही करेगी ।

नाम और हस्ताक्षर
(नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति)
*जो लागू नहीं है उसे काट दें।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति
13/6/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार